न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –12/2019
जी.सी.एम.एस.नम्बर–2019/00014

अपीलाण्टस् **बनाम** **रेस्पोडेण्ट्स**

1. फुली पुत्री खेमाराम
2. पतासी पुत्री खेमाराम
3. बिदामी पुत्री खेमाराम

सभी जाति जाट निवासीगण रियांश्यामदास तहसील मेडता जिला नागौर

1. पुनाराम पुत्र खेमाराम
2. हरीराम पुत्र नारायणराम
3. रामलाल पुत्र नारायणराम
4. ओमाराम पुत्र नारायणराम
5. मंगलाराम पुत्र नारायणराम
6. धन्नाराम पुत्र नारायणराम
7. राजुदेवी पुत्री नारायणराम
8. सीता बेवा हरकाराम
9. मोहनराम पुत्र हरकाराम
10. अमराराम पुत्र हरकाराम
11. गीता पुत्री हरकाराम
12. शांति पुत्री हरकाराम
13. कोयली पुत्री हरकाराम
14. रामदयाल पुत्र भंवरूराम
15. सुखाराम पुत्र भंवरूराम
16. अमराराम पुत्र भंवरूराम
17. पारस पुत्री भंवरूराम
18. सुप्यार उर्फ सुपर पुत्री भंवरूराम
19. सायरी बेवा भंवरूराम
20. रामेश्वरी पत्नि कुशालराम
21. मंगलाराम पुत्र कुशालराम
22. शैतानराम पुत्र कुशालराम
23. कालची पुत्री कुशालराम
24. मितुदेवी पुत्री कुशालराम
25. लीलादेवी पुत्री कुशालराम
26. माडीदेवी पत्नि मनरूपराम
27. भभूतराम पुत्र मनरूपराम
28. गुलाबीदेवी पुत्री मनरूपराम
29. रामप्यारी पुत्री मनरूपराम
30. रामनिवास पुत्र मनरूपराम
31. चेनाराम पुत्र मनरूपराम
32. कबुदेवी पुत्री मनरूपराम
33. राधादेवी पुत्री मनरूपराम

सभी जाति जाट निवासीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.05 19:18:25 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

रियांश्यामदास तहसील मेडता जिला नागौर
34. तहसीलदार मेडता
35. नायब तहसीलदार, मेडता

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्टस् की ओर से वकील श्री रमेश कुमार ढ़ाका ।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 2, 5, 9, 14 से 16, 20, 22 से 30 एवं 32 की ओर से वकील श्री दिनेश हेडा, रेस्पोडेन्ट संख्या 34 व 35 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

निर्णय दिनांक 12/11/2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत नायब तहसीलदार मेडता के राजस्व विविध मुकदमा संख्या 10/75 भंवरूराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 25.03.1975 से असंतुष्ट होकर दिनांक 06.02.2019 को पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1, 3, 4, 6 से 8, 10 से 13, 17 से 19, 21, 31 व 33 ने हस्तगत प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

वकील अपीलांट्स ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. का पेश कर कथन किया कि अपीलांट ने तहसीलदार कार्यालय मे प्रस्तुत राजस्व विविध प्रकरण संख्या 10/25.03.1975 की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 19.01.2019 को हुई तब अपीलांट ने नायब तहसीलदार मेडता द्वारा किये गये निर्णय की नकले प्राप्त की व जानकारी से अन्दर मियाद यह अपील पेश की है। जिसमें अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट पक्षकार नहीं थी। अपीलांट को जानबुझकर खेमाराम का उत्तराधिकारी नहीं बताया गया जबकि खेमाराम की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारीनी अपीलांट है तथा उक्त निर्णय से अपीलांट के हक व अधिकार प्रभावित हो रहे है। जिससे अपीलांट को उक्त अपील पेश करना आवश्यक है। जिससे अपीलांट न्यायालय की अनुमति से यह अपील प्रस्तुत कर रही है का कथन करते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाकर अपील दर्ज फरमाने का निवेदन किया। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर. डी. 1990 पेज 477–479 न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री दिनेश हेडा ने वकील अपीलान्ट के उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध कतरे हुऐ बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिकी में अपीलान्ट पक्षकार नहीं थे, तो एसी स्थिति में अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी को चुनौती दिये जाने का कोई आधार प्राप्त नहीं है। अपीलान्ट को कोई लोकल स्टेण्डाई नहीं होने से अपील खारिज होने योग्य है। अपीलान्ट को उक्त अपील पेश करने से पूर्व न्यायालय हाजा में अपील पेश करने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु अपने हक में प्रकरण साबित करना पड़ेगा कि उक्त अपील प्रस्तुत करने के लिए उसका हित निहित है। विवादित भूमि के संबंध में आज से 44 वर्ष पूर्व विधिवत् रूप से बंटवाड़ा हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में खेमाराम की पुत्रियां होने के आधार मात्र से उनको उक्त निर्णय व डिकी को चुनौती देने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत [illegible] अधीन धारा 96 सीपीसी खारिज करने का निवेदन किया है। राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश [illegible] ने [illegible] श्री दिनेश हेडा की बहस का समर्थन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.05 19:18:25 IST
Reason: SelfAttested

वकुलाय की बहस पर मनन किया। रिकार्ड का अवलोकन किया। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट खेमाराम की पुत्रियां है, परन्तु निर्णय [illegible] अपील में वादग्रस्त भूमि के खातेदार खेमाराम

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)
कलक्टर, नागौर

को पक्षकार बनाये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, इसलिए खेमाराम की पुत्रिया अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार होने से अपीलान्ट का आवेदन अन्तर्गत 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

वकील अपीलांट्स ने अपील के साथ मयाद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट ने तहसीलदार कार्यालय मे प्रस्तुत राजस्व विविध प्रकरण संख्या 10/25.03.1975 की जानकारी से सर्वप्रथम दिनांक 19.01.2019 को हुई तब अपीलांट ने नायब तहसीलदार मेडता द्वारा किये गये निर्णय की नकले प्राप्त की व जानकारी से अन्दर मियाद यह अपील पेश कर रही है। जिससे अपीलांट की अपील जानकारी से अन्दर मयाद शुमार फरमायी जावे। उक्त प्रकरण में नायब तहसीलदार मेडता द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध आदेश है, जो प्रारम्भ से ही निरस्त और शून्य है। इस प्रकार के आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। जिससे अपीलांट जानकारी से अन्दर मयाद यह अपील पेश करने का कथन करते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलांट की अपील अन्दर मयाद शुमार फरमायी जाने का निवेदन किया। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी. 1990 पेज 477–479, आर.आर.टी. 2013(1) पेज 473–475 न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री दिनेश हेडा ने अपीलान्ट के मयाद प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुऐ कथन किया कि अपीलान्टस् को निर्णय एवं डिकी जैर अपील की जानकारी प्रारम्भ से ही रहती चली आई है। नायब तहसीलदार मेड़ता द्वारा पारित आदेश किसी भी प्रकार से विधि विरूद्ध नहीं है और इसको कभी भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। अपीलान्ट के पिता खेमाराम को निर्णय दिनांक 25.10.1975 की जानकारी प्रारम्भ से ही थी और उनके द्वारा कभी भी उक्त निर्णय को चुनौती नहीं दी है। इसके अलावा अपीलान्ट् को भी उपरोक्त निर्णय व डिकी की जानकारी शुरू से ही रहती चली आई है, परन्तु जानबूझ कर रेस्पोडेन्ट को तंग व परेशान करने की नियत से उक्त अपील प्रस्तुत की है। यदि अपीलान्ट का किसी भी प्रकार से हक हिस्सा निहित होता तो निश्चित तौर पर 44 वर्ष के उपरान्त और विलम्ब के बाद उक्त अपील प्रस्तुत नहीं की जाती। जिससे भी उक्त अपील इस आधार पर खारिज होने योग्य है और अपील को मियाद में शुमार किया जाना किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं होने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 परिसीमा अधिनियम खारिज फरमाया जावे। राजपैरोकार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने से खारिज करने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। रिकार्ड का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के खातेदार खेमाराम को पक्षकार बनाये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में प्रकरण की गुणागुण के आधार सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया जाना उचित है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पुनाराम व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 7 के पिता व पति नारायणराम, रेस्पोडेन्ट सख्या 8 से 13 के पिता व पति हरकाराम, रेस्पोडेन्ट संख्या 14 से 19 के पिता व पति भंवरूराम, रेस्पोडेन्ट संख्या 20 से 25 के पिता व पति कुशालराम, रेस्पोडेन्ट संख्या 26 से 33 के पति व पिता मनरूपराम ने एक प्रार्थना पत्र राज्य सरकार के विरूद्ध मौजा रियांश्यामदास के खसरा नम्बर 613 रकबा 26 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 606 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 596 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 684 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 596 मीन रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 599 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 607 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 684 मीन रकबा 4 [illegible] बिस्वा, खसरा नम्बर 598 मीन रकबा 15 बीघा, खसरा नम्बर 606 मीन रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 596 मीन रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 614 मीन रकबा 6 बीघा [illegible] बिस्वा, खसरा नम्बर 674 मीन रकबा 4 बीघा, खसरा नम्बर 598 मीन रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 606 मीन रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 596 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 614 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 674 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 598 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 608 रकबा 29 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.05 19:18:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)
कलक्टर, नागौर

671 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 613 रकबा 9 बीघा के संबंध में भंवरूराम, कुशालराम, पुनाराम, नारायणराम, हरकाराम, मनरूपराम, ने राज्य सरकार को पक्षकार बनाकर एक प्रार्थना पत्र घोषणा खातेदारी व बंटवाडे का प्रस्तुत किया। जिसमें अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया है और अपीलांट से बाले–बाले तहसीलदार मेडता के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बंटवाडा व घोषणा खातेदारी बाबत प्रस्तुत कर दिया। वह प्रार्थना पत्र दिनांक 14.02.1975 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर बिना किसी प्रकार की जांच किये व रेर्कोडेड खातेदार को बिना पक्षकार बनाये व बिना रिर्कोडेड खातेदारी की सहमति के नायब तहसीलदार मेडता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर बिना किसी प्रकार की जांच किये दिनांक 25.03.1975 को बंटवाडा की डिक्री जारी कर दी और उस आदेश से नामान्तरकरण संख्या 340 व नामान्तरकरण संख्या 339 स्वीकृत होकर राजस्व अभिलेख में अपीलांट के पिता खेमाराम के स्थान पर उनके तीन पुत्र पुनाराम, नारायणराम एंव हरकाराम के नाम खातेदारी में इन्द्राज दर्ज करवा लिया। उक्त खसरान की जमीन में भंवरूराम व कुशालराम सहखातेदार थे। मगर भंवरूराम व कुशालराम ने खेमाराम को पक्षकार बनाये बिना ही उनके तीन पुत्रों ने मिलावटी रूप से वाद प्रस्तुत किया और खातेदारी का इन्द्राज अपने नाम दर्ज करवा लिया। जिसकी सर्वप्रथम जानकारी अपीलांट को अपने पिता के स्वर्गवास के बाद दिनांक 15.01.2019 को हुई और दिनांक 15.01.2019 को जानकारी होने पर अपीलांट ने तहसील कार्यालय में नकले लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिसमें अपीलांट को अपने पिता के नाम दर्ज खातेदारी भूमि का मिलावटी रूप से खातेदारी का इन्द्राज रेस्पोडेन्ट के पिता यानि अपीलांट के तीनों भाई पुनाराम, हरकाराम व नारायणराम ने अपने आप को खेमाराम के विधिक उत्तराधिकारी बताकर अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि खेमाराम का स्वर्गवास तो दिनांक 18.02.1996 को हुआ। उनकी मृत्यु से पूर्व ही अपने नाम खातेदारी का इन्द्राज रेस्पोडेन्ट के पूर्वज यानि अपीलांट के तीनों भाईयो ने मिलावटी एंव साजिशपूर्ण तरीको से राजस्व कर्मचारियों से मिलावट कर अपने नाम खातेदारी का इन्द्राज दर्ज करवा लिया जबकि बिना रिर्कोडेड खातेदारी की सहमति के व उसकी मृत्यु से पूर्व किसी भी रूप में खातेदारी का इन्द्राज दर्ज नहीं किया जा सकता था। मगर अपीलांट के तीनों भाई पुनाराम, नारायणराम व हरकाराम ने नाजायज व गैरकानूनी रूप से अपीलांट से बाले–बाले अपने नाम खातेदारी का इन्द्राज दर्ज करवा लिया। जिसकी जानकारी होने पर अपीलांट उक्त आदेश दिनांक 25.03.1975 के विरूद्ध जानकारी से अन्दर मयाद यह अपील पेश की है।

अदालत मातहत का आदेश जैर अपील खिलाफ कानून व रूहेदाद मिसल है। अदालत मातहत का आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध व कुटरचना कर पारित किया गया है। जो प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है। ऐसे आदेश के विरूद्ध किसी प्रकार के मयाद का प्रश्न ही पैदा नही होता। सर्वप्रथम एक रेर्कोडेड खातेदार खेमाराम पुत्र श्रीराम जो अपीलांट के पिता है, जो तत्कालीन रेर्कोडेड खातेदार थे, उनकी सहमति के बिना, उन्हे पक्षकार बनाये बिना किसी भी प्रकार न तो आदेश पारित किया जा सकता था और न ही उनका नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जा सकता था, न ही नामान्तरकरण दर्ज किया जा सकता था। मगर पुनाराम, नारायणराम व हरकाराम ने भंवरूराम, कुशालराम व मनरूपराम के साथ मिलावट कर सरकार को अप्रार्थीगण बनाकर बंटवाडा व खातेदारी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया। इस प्रकार का प्रार्थना पत्र न तो तहसीलदार व ना ही नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता था, ना ही नायब तहसीलदार को किसी प्रकार की खातेदारी की घोषणा करने का हक व अधिकार था। मगर इन सारे हक व अधिकारों के विरूद्ध व स्वंय खेमाराम के वारिसान की जांच किये बिना व किसी प्रकार का वारिस प्रमाण पत्र रेकर्ड पर लिये बिना विरूद्ध तरीके से आदेश पारित किया व राजस्व अभिलेख में खातेदारी का इन्द्राज किया। जिससे उक्त आदेश विधि विरूद्ध होने से काबिल अपास्त के है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.05 19:18:25 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट खेमाराम की प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी है। खेमाराम ने अपने जीवनकाल में उक्त खसरान की जमीन का किसी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं किया। खेमाराम की निरवसीयत मृत्यु हुई है। जिससे खेमाराम की सम्पूर्ण खातेदारी की भूमि में अपीलांट का बराबर–बराबर 1/6–1/6 यानि तीनो

कलक्टर, नागौर

अपीलांट का 1/2 हिस्सा है। मौके पर अपीलांट को शांतिपूर्वक काश्त, कब्जा, उपयोग व उपभोग चला आ रहा है। मगर अपीलांट को अपने हक व अधिकारों से महरूम रखने की बदनियति से नारायणराम, हरकाराम व पुनाराम ने मिलावटी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खेमाराम के जीवनकाल में ही उसे फौत बताकर व स्वंय खातेदार बताकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आदेश जैर अपील निर्णय पारित करवाया। जो प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध होने से काबिल अपास्त के है, का कथन करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 25.03.1975 निरस्त फरमाया जावे व राजस्व अभिलेख में उक्त आदेश के अनुसार किया गया खातेदारी का इन्द्राज निरस्त फरमाया जावे व पूर्ववत रेकर्ड की स्थिति बहाल की जाकर माफिक कानून उत्तराधिकारी का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का भूमिधारी को आदेश फरमाने का निवेदन किया।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री दिनेश हेडा ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में बंटवाडा बाबत निर्णय जैर अपील 25.03.75 को पारित किया गया एवं खातेदार खेमाराम मृत्यू 18.02.1996 को हुई है। इस प्रकार खेमाराम उक्त बंटवाड़ा बाबत निर्णय होने के पश्चात करीब 21 वर्ष जीवित रहा, परन्तु खेमाराम ने जीवित रहते 21 वर्ष तक उक्त निर्णय को चुनौती नहीं दी, इससे यह स्पष्ट है कि उक्त बंटवाड़ा बाबत निर्णय जैर अपील से खेमाराम की सहमति रही है। अब हस्तगत अपील उक्त खेमाराम की पुत्रियों द्वारा दिनांक 06.02.2019 को करीब 44 वर्ष उपरान्त हस्तगत अपील प्रस्तुत की है, जो किसी भी प्रकार से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होकर खारिज किये जाने योग्य है।

प्रकरण में बंटवाड़ा बाबत निर्णय जैर अपील के आधार पर नामान्तकरण संख्या 340 व नामान्तकरण संख्या 339 अपीलान्ट खेमाराम के तीन पुत्रों पुनाराम, नारायणराम एवं हरकाराम के नाम स्वीकृत हुआ है, जिसे भी निरस्त करने का अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया है, परन्तु विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक नामान्तकरण को पृथक–पृथक अपील के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है, इसलिए भी हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए वकील रेस्पोडेन्ट श्री दिनेश हेडा ने अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।

राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया ने बहस में कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में बंटवाडा बाबत निर्णय जैर अपील 25.03.75 को पारित किया गया एवं खातेदार खेमाराम मृत्यू 18.02.1996 को हो गई तथ खेमाराम बंटवाड़ा बाबत निर्णय होने के बाद में भी करीब 21 वर्ष जीवित रहा। खेमाराम ने जीवित रहते 21 वर्ष तक उक्त निर्णय को चुनौती नहीं दी, इस प्रकार उक्त बंटवाड़ा बाबत निर्णय जैर अपील से खेमाराम सहमत रहा है। अब हस्तगत अपील उक्त खेमाराम की पुत्रियों द्वारा दिनांक 06.02.2019 को करीब 44 वर्ष उपरान्त हस्तगत अपील प्रस्तुत की है, जो कि खारिज किये जाने योग्य है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में भंवरूराम, कुसालराम पुत्रगण रमजीराम, पूनाराम, नारायणराम, हरकाराम पुत्रगण खेमाराम, मनरूप पुत्र हरजीराम जाट निवासीगण रियांश्यामदास द्वारा तहसीलदार मेड़ता के समक्ष आवेदन दिनांक 14.02.75 को प्रस्तुत कर आवेदन में वर्णित भूमि का आपसी समझोते के आधार पर बंटवाड़ा स्वीकार कर अलग–अलग खातेदारी दर्ज करने का निवेदन किया, उक्त आवेदन के साथ आपसी समझोता कर बंटवारा कर लेने बाबत तीन रूपये स्टाम्प पर समझोता पत्र दिनांक 14.02.75 एवं एक जमाबन्दी ग्राम रियांश्याम दास खतौनी संख्या 35 खातेदार खेमाराम पुत्र श्रीराम, भवरूराम, कुशालराम पि0 रमजीराम को जाट सा0 देह खातेदार, खतौनी संख्या 34 खेमाराम [illegible] जाट सा0 देह खातेदार प्रस्तुत की है, परन्तु उक्त जमाबन्दी पर संवत् अंकित नहीं तथा [illegible] किसी भी पटवारी आदि के हस्ताक्षर अंकित नहीं है, भी प्रस्तुत किये [illegible] जिस पर नायब तहसीलदार मेड़ता द्वारा मु0नं0 10 प्रार्थीगण भंवरूराम, कुशालराम पुत्रगण रमजीराम, पूनाराम, नारायणराम, हरकाराम पुत्रगण खेमाराम, मनरूप पुत्र हरजीराम जाट सा0 रियांश्यामदास प्रकरण में अलग–अलग खातेदारी दर्ज करने का बंटवाड़ा बाबत निर्णय जैर अपील दिनांक 25.03.1975 को पारित किया। वकील अपीलान्ट का कथन खेमाराम पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.05 19:18:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला ... नागौर (राजस्थान)
कलक्टर, नागौर

श्रीराम बंटवाड़ा बाबत निर्णय जैर अपील में वर्णित भूमि का सहखातेदार था एवं वक्त निर्णय जीवित था। वकील अपीलान्ट के उक्त कथन का वकील रेस्पोडेन्ट व राजपैरोकार द्वारा बहस में कोई खण्डन नहीं किया है और न ही खण्डन स्वरूप कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है। इससे वकील अपीलान्ट के उक्त कथन को बल मिलता है।

धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व भूमि का बंटवाड़ा सह–खातेदारों के मध्य आपसी सहमति से किये जाने के प्रावधान है। परन्तु प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार बंटवाड़ा जैर अपील निर्णय में वर्णित भूमि के संबंध में खेमाराम पुत्र श्रीराम सह–खातेदार रहा एवं निर्णय दिनांक को खेमाराम के जीवित था, ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसे पक्षकार बनाये बिना एवं बिना उसकी सहमति के बंटवाड़ा बाबत निर्णय जैर अपील पारित किया जो, विधि सम्मत नहीं है। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि इसलिए प्रकरण पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मेड़ता द्वारा पारित बंटवाड़ा जैर अपील निर्णय को खारिज किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में सभी आवश्यक पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत का समुचित अवसर प्रदान कर रिकार्ड एवं साक्ष्य सबूत के आधार पर नये सीरे से निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मेड़ता को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय सुनाया गया।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.05 19:18:25 IST
Reason: SelfAttested